

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

जाँच-सूची
सेवानिवृत्त पेन्शन

1. सेवानिवृत्त का नाम
2. अन्तिम इकाई का नाम.....
3. सेवा निवृत्त के समय का पद.....
4. जन्म तिथि.....
5. अहंकारी सेवा का विवरण :-
 - (1) एक्स लाइसेंसी की सेवा अवधि
 - (2) परिषदीय सेवा अवधि.....
7. क्या सेवा-निवृत्तक ई.पी.एफ. का सदस्य रहा है ? /नहीं.....
 - (1) ई.पी.एफ. का लेखा नम्बर
 - (2) ई.पी.एफ. में (फार्म "के" अनुसार) सेवानिवृत्त सेवा नियोजक अंश.....
 - (3) क्या नियोजन का अंश परिषदीय खाते में जमा हो गया है, हाँ रूपया.....
8. सेवा विवरण :-
 - (1) 20 वर्ष की आयु से पूर्ण की सेवा
 - (2) बिना घेतन के अवकाश अवधि
 - (3) असत्यापित सेवाएँ
 - (4) निलम्बन की अवधि (यदि कोई हो)
 - (5) सेवा व्यवधान की स्थिति
9. (1) अनन्तिम पेंशन की धनराशि
- (2) अनन्तिम आनुतोषिक की धनराशि
10. पृष्ठ संख्या जिन पर निम्न प्रपत्र उपलब्ध है :-
 - (1) भाग - 1 पूर्ण/अपूर्ण
 - (2) भाग - 2 पूर्ण/अपूर्ण
 - (3) भाग - 3 पूर्ण/अपूर्ण
 - (4) भाग - 4 पूर्ण/अपूर्ण
 - (5) भाग - 5 (अ) पूर्ण/अपूर्ण
 - (6) संलग्नक 1 (बन्ध-पत्र अदेयता प्रमाण-पत्र हेतु).....
 - (7) संलग्नक 2 (बन्ध-पत्र पारिवारिक प्रमाण-पत्र हेतु).....
 - (8) संलग्नक 3 (शपथ पत्र)
 - (9) प्रपत्र-2 वसूली की राशि
 - (10) अन्तिम घेतन प्रमाण-पत्र
 - (11) चिकित्सा प्रमाण-पत्र (यदि पेंशन अयोग्यता हेतु दावा है)
 - (12) पेंशनरी लाभों के पक्ष के विकल्प (परिदेशदादेश संख्या 6755 दिनांक 17.2.82 के अन्तर्गत गूल रूप में)

.....
(13) वाणिज्यिक संस्था में कार्य न करने की घोषणा-पत्र (531 वी) सी.एस.आर. के अन्तर्गत
 - (14) कारपोरेशन/निगम में आयास रिक्त करने का प्रमाण-पत्र
 - (15) महास्तार का ऋण अदेयता प्रमाण-पत्र..... वसूली की धनराशि
 - (16) फार्म "सी"
(अ) अहंकारी सेवाएं.....
(ब) प्रतिनियुक्त की अवधि की वसूली.....
(स) अन्य वसूली.....
 - (17) सी.एस.आर. के अनुच्छेद 470 (वी) के अन्तर्गत परिषदीय स्वीकृति
 11. वसूली की कुल धनराशि विन्दु 10 (9) + (15).....
 12. सेवा पुस्तिका संलग्न है/ नहीं है (उप संख्या)
 13. क्या घेतन निर्धारण की जाँच उप मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की गई
 14. पेन्शन आहरण का खण्ड
 15. क्या राशिकारण चाहते है ? हाँ/ नहीं राशिकारण का भाग य धन

सहा. लेखाकर

सहायक लेखाधिकारी (पेन्शन)

लेखाधिकारी (पेन्शन)